...विध GCMS नंबर 2025/435 बअनवान मालाराम बनाम सरकार
...ा पत्र अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
25/02/26	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। राज पेरोकार उपस्थित। तहसीलदार बाली से जवाब/तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त होकर प्रकरण में शामिल पत्रावली हो चुकी है। उपस्थित वकुलाय की बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन से ज्ञात है कि प्रार्थी द्वारा अपनी धारित खातेदारी भूमि ग्राम पुनाडिया के खसरा नंबर 89 रकबा 0.84 हैक्टर की भूमि में सेग्रीगेशन के दौरान गलत तौर से पडौस स्थित नाडी की भूमि को नक्शें में गलत तौर से दर्ज करने से नक्शे में शुद्धि का निवेदन किया गया। इस संबंध में अप्रार्थी तहसीलदार बाली से ली जांच रिपोर्ट के अनुसार :– 1. यह है कि ग्राम पुनाडिया की वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 206 की खसरा न 89 रकबा 0.84 हैक्टर किस्म बारानी दोयम के खातेदार मालाराम पुत्र केसाराम जाति चौधरी दर्ज है। 2. यह है कि राजस्व नक्शा/शीट /लटठा एवं मौकानुसार प्रार्थी की खातेदारी खसरा न 89 एवं राजकीय सिवायचक खसरा न. 89/672 में मौके पर भिन्नता पाई गई है। उक्त दोनों खसरों के मौके पर पास में स्थित नाडी का भाग एवं नाडी की पाल स्थित है। 3. यह है कि प्रार्थी की खातेदारी खसरा न. 89 एवं राजकीय खसरा नंबर 89/672 का राजस्व नक्शा एवं मौके अनुसार नजरीय नक्शा, संलग्न मौका फर्द अनुसार प्रार्थी खातेदार की अशुद्व तरमीम को शुद्व किया जाना उचित है। 4. यह है कि प्रार्थी के खातेदारी खसरा न. 89 एवं राजकीय सिवायचक खसरा न. 89/672 के दोनों खसरों के भाग पर पास में स्थित नाडी का फैलाव होकर नाडी का भाग एवं नाडी की पाल आधे–आधे भाग पर स्थित है तथा शेष भाग पर दोनों खसरों के आधे–आधे भाग पर प्रार्थी खातेदार का कब्जा काश्त है। रेकर्ड के विपरीत प्रार्थी का कब्जा काश्त है। अतः प्रार्थी की खातेदारी एवं राजकीय भूमि रेकर्ड एवं मौके पर प्रार्थी के कब्जा काश्त एवं नाडी एवं नाडी के पाल की स्थिति अनुसार खसरा नंबर 89 एवं 89/672 को तरमीम शुद्धि किये जाने की अनुशंषा की गई। चूंकि अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार बाली व उसके प्रतिनिधि पटवारी हल्का कोटबालियान ने अपनी जांच रिपोर्ट में प्रार्थी की धारित खातेदारी भूमि में नाडी की गलत रूप से तरमीम होने से प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार नक्शे में शुद्धि किये जाने की सहमति प्रकट करते है। अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 136 के तहत तहसीलदार बाली व पटवारी हल्का कोटबालियान द्वारा जांच रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तुत मौका फर्द के अनुसार ग्राम पुनाडिया के खसरा नंबर 89 एवं 89/672 के नक्शे में तरमीम शुद्धि के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय मौका फर्द दिनांक 10.11.2025 को आदेश का भाग माना जावें। आदेश की पालना तहसीलदार बाली एवं पटवारी हल्का कोटबालियान सुनिश्चित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। 25/2/2026 सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)	

श्रीमान तहसीलदार साहब
बाली

विषय :- प्रार्थी मालाराम पुत्र केसाजी जाति चौधरी नि. दुनाडिया के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत ।

प्रसंग : श्रीमान जी के आदेश क्रमांक / नजारत / 2025 / 8007 दि. 08/09/2025 के क्रम मे ।

महोदय जी,

उपरोक्त विषय एवं प्रसंग मे निवेदन है कि प्रार्थी श्री मालाराम पुत्र केसाजी चौधरी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू-राजस्व अधि. 1956 मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुताबिक जांच रिपोर्ट मौके एवं राजस्व रेकर्ड मुताबिक निम्न है।

यह है कि ग्राम दुनाडिया की वर्तमान जमाबन्दी खाता सं. 206 के खसरा नम्बर 89 रकबा 0.8400 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम के खातेदार मालाराम पुत्र केसाराम जिला पुर्ण जाति चौधरी सा. देह खातेदार दर्ज है।

यह है की राजस्व नक्शा शीट / लट्ठा एवं मौके मुताबिक प्रार्थी के खातेदारी खसरा नं. 89 एवं राजकीय बिलायचन्द खसरा नम्बर 89/672 मे मौके पर निन्नाण पाइजी। उक्त दोनो खसरो के मौके पर पास मे स्थित नाडी का भाग एवं नाडी की पाल स्थित है।

P.T.O.

पेज 2

यह है की प्रार्थी के खातेदारी खसरा न. 89 एवं राजकीय खसरा न. 89/672 का राजस्व नक्शा एवं मौके अनुसार नक्शा संलग्न मौका फर्द अनुसार प्रार्थी खातेदार की अशुद्ध तरमीम शुद्ध किया जाना उचित है

यह है की प्रार्थी के खातेदारी खसरा नम्बर 89 एवं राजकीय सिवाय चक खसरा नम्बर 89/672 के दोनो खसरो के भाग पर पास मे स्थित नाडी का फैलाव घेरकर नाडी का भाग एवं नाडी की पाल आधे-आधे भाग पर स्थित है एवं शेष भाग पर दोनो खसरो के आधे-आधे भाग पर प्रार्थी खातेदार कब्जा काश्त है रेकर्ड के विपरित प्रार्थी कब्जा काश्त है तथा रेकर्ड एवं मौके की स्थिति मे भिन्नता है

अत: प्रार्थी की खातेदारी एवं राजकीय भूमि रेकर्ड एवं मौके पर प्रार्थी के कब्जा काश्त एवं नाडी व नाडी की पाल की स्थिति अनुसार खसरा नम्बर 89 व 89/672 को तरमीम शुद्ध किये जाने की अनुशंषा सहित संलग्न मौका फर्द रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवामे अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर पेश है

दिनेश मेघवाल
पटवारी (भू.अ.)
पटवार मण्डल........
तहसील - बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

मौका फर्द

आज दिनांक 10-11-2025 को श्रीमान तहसीलदार साहब, बाली के आदेश क्रमांक/नजारत/2025/8009 दि० 08-09-2025 की पालना में श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय बाली के न्यायालय में वाद मालाराम पुत्र केसाजी जाति- चौधरी बनाम भूमिधारी अन्तर्गत धारा 136 की पालना में ग्राम पुनाडीया के ख॰नं॰ 89 व 89/672 के मौके पर पहुंचा।

मौके पर राजस्व रेकर्ड नक्शा लट्ठा एवं सेग्रीगेशन नक्शा शीट से मौके अनुसार जाँच की गई जिसमें मौके एवं राजस्व रिकार्ड अनुसार नजरी नक्शा निम्न प्रकार है –

नजरी नक्शा

(राजस्व रेकर्ड अनुसार नक्शा) अशुद्ध तरमीम

मौके अनुसार नजरी नक्शा (शुद्ध तरमीम योग्य)

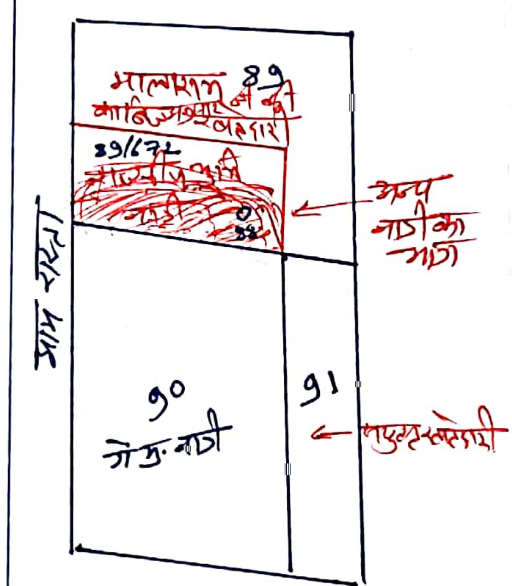

उपरोक्त नजरी नक्शा अनुसार मौका फर्द तैयार की जाकर उपस्थित व्यक्तियों के अंगुष्ठ/हस्ताक्षर करवाये गये।

नवाराम चौधरी

मालाराम

श्रवण पुनाराम

तहसीलदार (भू.अ.) बाली

दिनेश मेघवाल
पटवारी (भू.अ.)
पटवार मण्डल कोट ...
तहसील - बाली, जिला-पाली (राज.)

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी ★ बाली, जिला - पाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner